भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2935
13.08.2026 को उत्तर के लिए

मिष्टी योजना

2935. श्री संजय सेठ:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वैच्छिक औद्योगिक कार्बन उत्सर्जन कटौतियों के सत्यापन हेतु भारतीय कार्बन बाज़ार के लिए स्थापित परिचालनात्मक ढांचा क्या है;
(ख) संवेदनशील पूर्वी और पश्चिमी तटरेखाओं के साथ मैंग्रोव पुनर्स्थापन हेतु मिष्टी योजना के अंतर्गत क्या प्रगति हुई है;
(ग) क्या कंक्रीट क्षेत्रों में शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव को कम करने हेतु राष्ट्रीय कार्य-योजनाओं को उन्नत किया गया है;
(घ) हाल ही में केंद्रीय कैम्पा संचयन कोष से राज्यों को वितरित की गई निधि की कुल मात्रा कितनी है; और
(ड.) नव घोषित रामसर आर्द्रभूमियों हेतु अपनाए गए दीर्घकालिक संरक्षण संबंधी नयाचार क्या हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) 'भारतीय कार्बन बाजार (आईसीएम) के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा', अर्थात् कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (सीसीटीएस) को दिनांक 28 जून 2023 के का.आ. 2825 (अ) के द्वारा अधिसूचित किया गया था एवं ऑफसेट तंत्र को शामिल करने के लिए दिसंबर 2023 में संशोधन अधिसूचना का.आ. 5369 (अ) के माध्यम से आगे संशोधित किया गया था और इसे विद्युत मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

ऑफसेट तंत्र के अंतर्गत, गैर-बाध्यकारी संस्थाएं अपने ऐसे परियोजना कार्यकलापों को कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र जारी करने हेतु पंजीकृत कर सकती हैं, जिनसे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी, निष्कासन या बचाव होता है। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने ऑफसेट तंत्र के संचालन हेतु एक विस्तृत प्रक्रिया प्रकाशित की है। विस्तृत प्रक्रिया के सत्यापन और प्रमाणीकरण मानक के अंतर्गत एक संरचित निगरानी और संसूचना प्रक्रिया प्रदान की गई है। प्रत्यायित कार्बन सत्यापन एजेंसियों (एसीवीए) के रूप में जानी जाने वाली स्वतंत्र तृतीय-पक्षीय संस्थाएं, परियोजना का सत्यापन और प्रमाणीकरण करती हैं। इन स्वैच्छिक ऑफसेट बाजारों में इस प्रकार सत्यापित कार्बन क्रेडिट, गैर-बाध्यकारी संस्थाओं को अपने स्वतंत्र संधारणीयता संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम बनाते हैं।

(ख) मंत्रालय मैंग्रोव को एक अद्वितीय प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में पुनर्स्थापित करने और तटीय पर्यावसों की संधारणीयता के संरक्षण और संवर्धन के लिए 'तटीय पर्यावासों और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल' (मिष्टी) का कार्यान्वयन कर रहा है। यह पहल 5 जून 2023 को भारत के तटों पर मैंग्रोव वनों के पुनर्स्थापन/वनीकरण कार्यों के माध्यम से "मैंग्रोव वनों को पुनर्स्थापित" करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। यह पहल नौ तटीय राज्यों और चार संघ राज्य क्षेत्रों में लगभग 540 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करती है। अब तक, राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (काम्पा) के माध्यम से 9536 हेक्टेयर क्षतिग्रस्त मैंग्रोव क्षेत्रों की पुनर्बहाली के लिए आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी (1 संघ राज्य क्षेत्र) को ₹ 88.44 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है।

(ग) जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) के अंतर्गत देश में जलवायु संबंधी कार्रवाइयों के लिए एक व्यापक कार्यढांचा प्रदान किया गया है। एनएपीसीसी के अंतर्गत राष्ट्रीय संधारणीय पर्यावास मिशन (एनएमएसएच) संधारणीय शहरी नियोजन, ऊर्जा-कुशल इमारतों, बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन और जलवायु प्रभाव-प्रतिरोधक शहरी अवसंरचना को बढ़ावा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, 34 राज्यों और संघ राज्य ने जलवायु परिवर्तन पर अपनी राज्य कार्य योजनाएँ (एसएपीसीसी) तैयार की हैं, जो स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर शहरी अनुकूलनीयता के उपायों सहित राज्य-विशिष्ट जलवायु संवेदनशीलताओं और अनुकूलन प्राथमिकताओं की पहचान करती हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने 'लू का निवारण और प्रबंधन कार्य योजना तैयार करने हेतु राष्ट्रीय दिशानिर्देश' तैयार किए हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, शहरों को शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव को बढ़ाने वाले प्रमुख कारकों की पहचान करने के लिए संवेदनशीलताओं का आकलन करना चाहिए और अपनी उष्णता कार्य योजना (एचएपीएस) में उपयुक्त शमन उपायों को शामिल करना चाहिए।

(घ) काम्पा द्वारा दिनांक 31.3.2026 तक राज्यों को कुल 84556.43 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

(ङ) वर्तमान में सरकार देश में आर्द्रभूमि (रामसर स्थलों सहित) के संरक्षण और प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों के बीच लागत साझाकरण के आधार पर 'राष्ट्रीय जलीय पारि-तंत्र संरक्षण योजना (एनपीसीए)' नामक केंद्र प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन कर रही है। इस योजना अंतर्गत अपशिष्ट जल का अवरोधन, अपवर्तन और शोधन, तटरेखा संरक्षण, लेक-फ्रंट तैयार करना, स्व-स्थाने सफाई (अर्थात गाद और खरपतवार हटाना), वर्षा जल प्रबंधन, जैव-उपचार, जलग्रहण क्षेत्र शोधन, झील सौंदर्यीकरण, सर्वेक्षण और सीमांकन, जैव बाड़ लगाना, मत्स्य-पालन विकास, खरपतवार नियंत्रण, जैव विविधता संरक्षण, शिक्षा और जागरूकता सृजन, सामुदायिक भागीदारी आदि जैसे विभिन्न कार्यकलाप शामिल हैं।
